

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

लीला देवी

बनाम

रतन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 52/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1 2/02/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती लीला देवी</p> <p>पत्नी श्री करण सिंह जाट</p> <p>निवासी- इसरपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ नं ग्राम</p> <p>साथी (तह. चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 946 935</p> <p>944 945</p> <p>0.21 0.43</p> <p>कुल कीता 04 कुल रकबा 1.2400 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम साथी (तह. चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 946, 935, 944, 945</p> <p>16, 0.44, 0.21, 0.43</p> <p>कुल कीता 04 रकबा 1.2400 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000.00 रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल)</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>